"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 354] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 अगस्त 2017 — श्रावण 20, शक 1939

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-6/2005/25-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

1. अनुसूची-एक में, सरल क्रमांक 16 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"16	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	85	वर्ग-दो	विभागीय अधिकारी के लिये-9300-34800+ ग्रेड पे-4400 ऐसे उप जिलाधीश, जो राज्य प्रशासनिक सेवा प्रतिनियुक्ति पर है, के लिये-15600-39100 + ग्रेड पे 5400"

2. अनुसूची-दो में, सरल क्रमांक 15 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
"15.		मुख्य कार्यपालन अधिकारी	85	12 %	60 %	28 %	60 % पदों को क्षेत्रीय संगठन के पदोन्नति द्वारा भरा जाना और 28 % पदों को राज्य प्रशासनिक सेवा से उप जिलाधीश की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाना है."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2017

क्रमांक एफ 1-6/2005/25-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11अगस्त, 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 11th August 2017

NOTIFICATION

No. F 1-6/2005/25-1.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Scheduled Tribe and Scheduled Caste Development (Gazetted) Service, Recruitment Rules, 2006,namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. In Schedule-I, for serial number 16 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"16	Chief Executive Officer, Janpad Panchayat	85	Class-II	For Departmental Officer 9300-34800 + Grade Pay 4400 For Deputy Collector who is deputed from State Administrative Services-15600-39100 +Grade Pay 5400"

2. In Schedule-II, for serial number 15 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
"15		Chief Executive Officer	85	12 %	60 %	28 %	60 % posts to be filled by promotion of Area Organizer and 28 % posts to be filled by deputation of Deputy Collector from State Administrative Services."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. D. KUNJAM, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.